

कार्यालय प्रधानाचार्य, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

पत्रांक : / बीआरजी / एमसी-2020 / ईसी-01

दिनांक : 02/03 / 2020

विज्ञप्ति

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में टेली मेडिसिन सर्विस हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा निर्गत गाइड लाईन के अनुसार एम०बी०बी०एस० चिकित्सक की संविदा पर तैनाती किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है। चयन की प्रक्रिया वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय के समिति कक्ष में दिनांक 03.04.2020 को समय 11:00 बजे से 01:00 बजे सम्पादित की जायेगी।

पद का नाम	वांछित योग्यता	मानदेय	पदों की संख्या
MBBS Doctor	Candidate must have passed with at least 50% marks in his/her Bachelor of Medicine or Bachelor in Surgery (MBBS) Degree. Note: Degree should be recognized by MCI and be registered with Medical Council of India/U.P. Desirable: Post UG work experience	60,000-00 (Rs. Sixty Thousand Only)	05

नियम एवं शर्तें :

- 1-उक्त पदों पर भर्ती पूर्णतः संविदा, अस्थायी एवं नियत मासिक मानदेय पर होगी।
- 2-अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा निर्गत गाइड लाईन के अनुसार होगी।
- 3-अर्ह अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है, कि वे साक्षात्कार हेतु समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, 1 अतिरिक्त छायाप्रति सैट, एवं आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- 4-आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित दस्तावेज वॉक इन इन्टरव्यू के समय मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। आरक्षण के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार होगी।
- 5-किसी भी विधिक कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र गोरखपुर होगा।
- 6-अनुबन्ध करने हेतु अभ्यर्थी को 100 रु० का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करना होगा।
- 7-पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। वॉक इन इन्टरव्यू हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 8-संविदा शर्तों के अधीन 7 दिवस से अधिक अनुपस्थित होने पर सेवायें स्वतः समाप्त समझी जायेंगी।
- 9-अभ्यर्थी के द्वारा पद से त्याग पत्र देने की स्थिति में कार्यालय को एक माह पूर्व सूचित करना होगा, ऐसा न होने पर 1 माह का वेतन कार्यालय में जमा करना होगा अथवा कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
- 10-अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा निर्गत निर्देशानुसार ही किसी भी प्रकार के अवकाश देय होंगे।
- 11-अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गाइडलाईन के अनुसार होंगी, जिनका अनुपालन अभ्यर्थियों को करना अनिवार्य होगा।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज गोरखपुर।

पत्रांक : 176 / तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति को प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज गोरखपुर।
- 5- प्रभारी अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज गोरखपुर को इस आशय से कि कालेज की वेबसाइट www.brdmc.ac.in पर विज्ञप्ति अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 6- संयोजक, साक्षात्कार समिति, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज गोरखपुर।